

तारीख हुक्म

19-01-23

पत्रावली पेश हुई | वसुन्नाय फेरीकिन
उपास्थित | आदेश सुनाया गया |
मुआबिक आदेशा उर्थना पत्र बाबत उत्सुत
राजस्व रिकार्ड की उर्थियां वादिनी के अनु-
संध पर रिकार्ड पर लेकर उर्थना - पत्र
को स्वीकार किया गया | तथा उर्थिवादी
गण द्वारा उत्सुत धारा 151 CPC का
स्वीकार किया जाता है तथा वादिनी का
वाद अवीध अधिनियम के बाहर उत्सुत
होने से कोई वाद कायना उर्थिवादी गण के
किरहु वादिनी को हांसिल नहीं होने से
वाद पत्र रिजेक्ट किया जाता है | विस्तृत
मिसे आदेशा प्रथम से लिखवाया जाकर
शामिल निसल फरवाया गया |

पत्रावली फंसल शुमार होकर हसब जावता
दाखिल दफतर है |

निर्णय आज दिनांक 19/01/2023 को
सुनाया गया |

4